HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 8309/2025

Rambabu Son Of Shri Ratan Lal, Aged About 33 Years, Resident Of Village Jagjeevanpur, Tehsil Weir, District Bharatpur Raj.

----Accused/Petitioner

Versus

1. The State Of Rajasthan, Through P.P.
2. Ramkesh Meena Son Of Shri Bhagwan Sahay Meena, Resident Of Village Lotwara, Tehsil Baijupada, District Dausa (Rajasthan).

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Karanpal Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI
Order

23/02/2026

S.B. Criminal Misc. Stay Application No. 9762/2025:-

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक व विद्वान लोक अभियोजक को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को रंगे हाथों गिरफ्तार नहीं किया गया है, न ही उसके द्वारा रिश्वत की कोई मांग की गई है। सहअभियुक्त रवि मीना द्वारा परिवादी को अपनी स्कूटी पर बैठाकर घर ले जाकर रिश्वत राशि 3 लाख रुपए अपने घर पर रखना बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त को केवल चाय की थड़ी पर आकर बैठने के आधार पर अंतर्वलित किया गया है, जो कॉल डिटेल्स प्रार्थी/अभियुक्त की प्रस्तुत की गई है, वह विश्वसनीय नहीं है। कॉल डिटेल्स प्रार्थी/अभियुक्त की नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त अन्वेषण में सहयोग करने के लिए और वॉयस टैस्ट कराने के लिए तैयार है, अतः प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी पर स्थगन किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त जो प्रयोगशाला सहायक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर में कार्यरत है, के द्वारा सहअभियुक्त रवि मीना के मार्फत परिवादी श्री रामकेश मीना से उसके छोटे भाई के विरुद्ध महिला पुलिस थाना दौसा में दर्ज पॉक्सो एक्ट में डीएनए रिपोर्ट चेंज करने की एवज में रिश्वत की मांग का सत्यापन किया जाना स्पष्ट हुआ है, अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त का प्रयोगशाला सहायक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर कार्यरत होना बताया गया है और उस पर यह आरोप है कि डी.एन.ए. रिपोर्ट चेंज करवाने के लिए उसने परिवादी रामकेश मीना से 8 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। प्रकरण में परिवादी रवि मीणा और प्रार्थी/अभियुक्त के मध्य जो टेलिफोनिक वार्ता प्रकरण में प्रस्तुत हुई है, उसमें परिवादी द्वारा 8 लाख रुपए देने पर प्रोसेस चालू करने के तथ्य प्रार्थी/अभियुक्त ने परिवादी को कहे हैं।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गिरफ्तारी पर रोक लगाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 9762/2025 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 8309/2025:-

प्रकरण दो सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /240